तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2867/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम पूंजा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मोडूदान देथा, सदस्य** **उपस्थितः-** श्री खुर्शीद अनवर, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। -- **आदेश** **दिनांकः 14.8.18** यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 22-02-2006 द्वारा मण्डल को प्रेषित किया है। संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, सीमलवाड़ा ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वैंजा तहसील सीमलवाड़ा के हाल आराजी खसरा नं0 22 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म दी.पी.ए गत भू प्रबंध संवत् 2008 में खसरा नं0 291 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा किस्म नदी बिलानाम अंकित थी, जिसका फर्द तुलनात्मक संलग्न करते हुए उन्होंने उक्त गत आराजी खसरा नं0 291 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा किस्म नदी में से रकबा 18 बिस्वा हाल आराजी खसरा नं0 22 रकबा 18 बिस्वा भूमि भू प्रबंध के दौरान संवत् 2014 में अप्रार्थीगण के पिता श्री गोमना पिता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2867/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम पूंजा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकला मीणा निवासी वैंजा के खातेदारी में दर्ज हो गई है जबकि उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जावें। प्रा0 पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22-02-2006 द्वारा यह रेफरेंस अनुशंषा के साथ मण्डल को प्रेषित किया है। मण्डल द्वारा रेफरेंस को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। मैंने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि की किस्म गैर नदी है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नाले, झीले और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है। उक्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2867/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम पूंजा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 02-08-2004 के परिप्रेक्ष्य में भी अविधिक है, जिसमें ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश प्रदान किए गए है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जावें। मैने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत रेफरेंस में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम वैंजा तहसील सीमलवाड़ा के हाल आराजी खसरा नं0 22 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म दी.पी.ᑭ गत भू प्रबंध संवत् 2008 में खसरा नं0 291 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा किस्म नदी बिलानाम अंकित थी, जिसका फर्द तुलनात्मक संलग्न करते हुए उन्होंने उक्त गत आराजी खसरा नं0 291 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा किस्म नदी में से रकबा 18 बिस्वा हाल आराजी खसरा नं0 22 रकबा 18 बिस्वा भूमि भू प्रबंध के दौरान संवत् 2014 में अप्रार्थीगण के पिता श्री गोमना पिता वकला मीणा निवासी वैंजा के खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। चूँकि उक्त भूमि की किस्म नदी होने के कारण यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2867/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम पूंजा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आती है तथा राजस्थान-भू राजस्व ;कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटनद्ध नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने के कारण भू प्रबंध विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति के नाम इन्द्राज किया जाना प्रचलित नियमों के विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी0 सिविल रिट पिटीशन नं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिनांक 02-08-2004 को यह निर्णय पारित किया गया कि उक्त किस्म की भूमि को वापिस दिनांक 15-08-1947 की स्थिति में बहाल किया जावें। उपरोक्त विधिक एवं अभिलेख की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विवादित भूमि को भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 22 रकबा 18 बिस्वा स्थित ग्राम वैंजा को सिवाय चक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादित भूमि बाबत्	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2867/2006/डूंगरपुर सरकार बनाम पूंजा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व अभिलेख में किए गए खातेदारी के अंकन को विलोपित किये जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोडूदान देथा)** **सदस्य**	